न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बगोदर–सरिया (गिरिडीह)

दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–14 / 2020–21

मियांजान अली .... प्रथम पक्ष

बनाम्

झारखण्ड सरकार एवं अन्य .... द्वितीय पक्ष

आदेश

आवेदक मियांजान अली, पिता– रोजन अली, ग्राम– चिनो, पो0– डुमरी, जिला– गिरिडीह द्वारा समर्पित आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, बगोदर द्वारा दाखिल–खारिज वाद संख्या **242 R27/2019-20** में पारित आदेश के विरूद्ध अपील वाद दायर किया गया है। जिसका जमीन संबंधी विवरण निम्नवत् है :–

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा
बगोदर	107	91	5248	3.75 डी0

उक्त आवेदन के आलोक में दाखिल–खारिज अपील वाद प्रारम्भ कर विभिन्न तिथियों में सुनवाई कर उभय पक्षों को सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया जिसमें अंचल अधिकारी, बगोदर द्वारा हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के अनुशंसा के आधार पर जमीन पर आपसी विवाद रहने के कारण दाखिल खारिज वाद को अस्वीकृत कर दिया गया है।

सुनवाई के क्रम में उभय पक्षों द्वारा न्यायालय में आपसी सहमति पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें आपत्तिकर्त्ता लक्ष्मण यादव द्वारा अनुरोध किया गया है कि मेरे द्वारा किया गया आपत्ति आपस में सुलह हो गई है।

अतः समर्पित सहमति पत्र एवं अभिलेख में संलग्न कागजात के अवलोकनोरांत अंचल अधिकारी, बगोदर द्वारा पारित आदेश से असहमत होते हुए वाद को पुनः remand किया जाता है। आवेदक विधिवत् ऑनलाईन नामांतरण हेतु पुनः आवेदन देंगे।

लेखापित एवं संशोधित।

17/x/20

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
बगोदर–सरिया (गिरिडीह)

17/x/20

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
बगोदर–सरिया (गिरिडीह)